न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः सुनील कुमार मीना, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू.	तारीख फैसला
7/2024	30.1.2024	25.6.2025

प्रेमराज पुत्र कजोड्या, जाति मीना, निवासी भांवरा, तहसील बामनवास,

वादी

बनाम

1. हरिमोहन पुत्र बदरी,
2. श्रीमती लाली पत्नी हरिमोहन,
3. राधाकिशन पुत्र बदरी,
4. श्रीमती माया देवी पत्नी राधाकिशन,
5. कुमारी अंकिता पुत्री हरिमोहन,

सभी जाति मीना, निवासी भांवरा, तहसील बामनवास

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति,

श्री रामसिंह मीना, एडवोकेट, वादीगण की ओर से,

प्रतिवादीगण की ओर से – कोई उपस्थित नहीं ।

निर्णय

इस निर्णय द्वारा निस्तारित किए जा रहे वाद पत्र में वादी द्वारा कथन किया गया है कि उसकी खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2003/1060 रकबा 0.05 हैक्टेयर स्थित ग्राम भांवरा, तहसील बामनवास पर वह काश्त करता चला आ रहा है । उसने इस

Scanned with CamScanner

वर्ष (जनवरी 2024 में) अपनी उक्त खातेदारी भूमि में सरसों की फसल काश्त की है, जो सरसब्ज खड़ी हुई है। प्रतिवादीगण का वादी की भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वादी की भूमि में खड़ी हुई सरसों की फसल को काटने की धमकी दे रहे हैं। दिनांक 20.1.2024 को वादी अपनी सरसों की फसल की रखवाली कर रहा था कि इतने में ही समस्त प्रतिवादीगण हाथों में लाठी–डण्डे लेकर वादी की भूमि पर आ गये तथा वादी को मारने पीटने पर आमादा हो गये तथा वादी को धमकी दी कि सरसों की फसल को हम ही काटेंगें। वादी ने प्रतिवादीगण को झगड़ालू किस्म के गुण्डा प्रकृति के व्यक्ति होना बताते हुए कहा है कि उनको कानून की कोई परवाह नहीं है। यदि उनको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया गया तो वे वादी की भूमि पर कब्जा कर लेंगें तथा फसल को जबरन काटकर ले जायेंगें। अनुतोष में निवेदन किया कि वाद पत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण मय खर्चा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद किया जावे कि वे वादी की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2003/1060 रकबा 0.05 हैक्टेयर स्थित ग्राम भांवरा, तहसील बामनवास के कब्जे काश्त में न तो किसी प्रकार की बाधा स्वयं उत्पन्न करें और न ही किसी अन्य से करवायें, वादी की आराजियात्

Scanned with CamScanner

में खड़ी हुई सरसों की फसल को भी किसी प्रकार नहीं काटें और न ही उसे खुर्द बुर्द करें ।

प्रतिवादीगण को उक्त आशय के दावे के सम्मन प्रेषित किए गए लेकिन बावजूद तामील उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई जवाब पेश किया गया, इसलिए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व वादी को अपनी ओर से एक पक्षीय साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया, जिसमें वादी ने अपने आपको बतौर पी.ड. 1 परीक्षित कराकर साक्ष्य समाप्त की । दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत् 2074 से 2076 प्रदर्श 1 को प्रदर्शित करवाया गया है ।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में विचारणीय प्रश्न इस प्रकार है कि क्या वादी का वाद पत्र डिकी किए जाने योग्य है ?

अपने वाद पत्र का समर्थन करते हुए गवाह प्रेमराज पी. ड. 1 ने कथन किया है कि उसकी खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 1059 रकवा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2003/1060 रकवा 0.05 हैक्टेयर स्थित ग्राम भांवरा, तहसील बामनवास है, जिस पर वह काश्त करता चला आ रहा है । उसने घटना की साल, यानि करीब डेढ वर्ष पूर्व अपनी उक्त खातेदारी भूमि में सरसों की फसल काश्त की थी, जो घटना

Scanned with CamScanner

के समय सरसब्ज खड़ी हुई थी, हरिमोहन पुत्र बदरी, श्रीमती लाली पत्नी हरिमोहन, राधाकिशन पुत्र बदरी, श्रीमती माया देवी पत्नी राधाकिशन एवं कुमारी अंकिता पुत्री हरिमोहन का उसकी भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन ये लोग ताकत के बल पर उसकी भूमि में खड़ी हुई सरसों की फसल को काटने की धमकी देने लगे । दिनांक 20.1.2024 को जब वह अपनी सरसों की फसल की रखवाली कर रहा था कि इतने में ही हरिमोहन पुत्र बदरी, श्रीमती लाली पत्नी हरिमोहन, राधाकिशन पुत्र बदरी, श्रीमती माया देवी पत्नी राधाकिशन एवं कुमारी अंकिता पुत्री हरिमोहन हाथों में लाठी–डण्डे लेकर उसकी भूमि पर आ गये तथा उसको मारने पीटने पर आमादा हो गये तथा उसको धमकी दी कि सरसों की फसल को वे ही काटेंगें । गवाह ने आगे कथन किया है कि ये लोग झगड़ालू किस्म के गुण्डा प्रकृति के व्यक्ति हैं, जिनको कानून की कोई परवाह नहीं है । उनको उनके इस प्रकार के कृत्य से रोकने के लिए ही उसने स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । उसका दावा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि वे उसकी खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 1059 रकवा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2003/1060 रकवा 0.05 हैक्टेयर स्थित ग्राम भांवरा, तहसील बामनवास के कब्जे काश्त में न तो किसी प्रकार की बाधा स्वयं उत्पन्न करें और न ही किसी

Scanned with CamScanner

अन्य से करवायें, उसकी आराजियात् में बोई गई किसी भी फसल को भी किसी प्रकार नहीं काटें और न ही उसे खुर्द बुर्द करें ।

हमारे द्वारा संपूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । वादी की साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से न तो किसी प्रकार की कोई मौखिक साक्ष्य है और न ही कोई प्रलेखीय साक्ष्य है । वादी की साक्ष्य पत्रावली पर पूरी तरह से अखण्डित है, उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा दावे में किए गए कथनों पर अविश्वास किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता । संपूर्ण पत्रावली के अवलोकन से वादी का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किए जाने योग्य पाया जाता है तथा प्रतिवादीगण वाद पत्र में की गई प्रार्थना के अनुसार प्रतिबंधित किए जाने योग्य पाये जाते हैं ।

आदेश

वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण तदनुसार डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 1059 रकवा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2003/1060 रकवा 0.05 हैक्टेयर स्थित ग्राम भांवरा, तहसील बामनवास के कब्जे काश्त में न तो किसी प्रकार की बाधा

स्वयं उत्पन्न करें और न ही किसी अन्य से करवायें, वादी की आराजियात् में बोई गई किसी भी फसल को भी किसी प्रकार नहीं काटें और न ही उसे खुर्द बुर्द करें । डिक्री तदनुसार तैयार की जावे । खर्चे बाबत किसी प्रकार का आदेश नहीं है ।

(सुनील कुमार मीना)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

निर्णय आज दिनांक 25.6.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनील कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः सुनील कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रेमराज पुत्र कजोड्या, जाति मीना, निवासी भांवरा, तहसील बामनवास

वाद पत्र बावत स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 7/2024

वादी स्वयं उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आज दिनांक 25.6.2025 को मुझ पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए इस वाद पत्र के पेश होने पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है व कि प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 1059 रकवा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2003/1060 रकवा 0.05 हैक्टेयर स्थित ग्राम भांवरा, तहसील बामनवास के कब्जे काश्त में न तो किसी प्रकार की बाधा स्वयं उत्पन्न करें और न ही किसी अन्य से करवायें, वादी की आराजियात् में बोई गई किसी भी फसल को भी किसी प्रकार नहीं काटें और न ही उसे खुर्द बुर्द करें ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर

Scanned with CamScanner

आज दिनांक 25.6.2025 को जारी की गई ।

(सुनील कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	

Scanned with CamScanner